न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 33/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. संजय कुमार पुत्र श्री राजाराम उम्र 38 वर्ष
2. मनीष कुमार पुत्र श्री राजाराम उम्र 36 वर्ष

जाति जाट निवासीयान चक 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

-- वादीगण

बनाम

1. राजाराम पुत्र श्री राधेराम } जाति जाट निवासी चक 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम } तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। -- प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी–1 व 2)
	पैरोकार राज	(प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 12.04.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 75/72 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 8.755 है नहरी कृषि भूमि में से 734/1751 हिस्सा यानि 3.670 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम पुत्र राधेराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 2 विरेन्द्र पुत्र राजाराम के नाम से 708/8755 हिस्सा यानि 0.708 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। खाता संख्या 75/72 की जमाबन्दी की प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी संख्या 1 व 2 के दादाजी राधेराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण संख्या 321 दिनांक 02/06/2008 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है तथा वादी संख्या 1 व 2 की दादीजी श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी राधेराम के स्वर्गवास होने के बाद उनका हिस्सा भी विरास्तन नामान्तरण संख्या 588 दिनांक 28/02/2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ है । प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने पिताजी राधेराम एवं माताजी श्रीमती रामेश्वरी देवी के स्वर्गवास होने के बाद प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक 12 एफ बड़ा की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
राजाराम पुत्र राधेराम 1.012 है., संजय कुमार पुत्र राजाराम 1.342 है. मनीष कुमार पुत्र राजाराम 1.012 है. विरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 0.304 है. कौम जाट निवासीयान 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 75/72 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 8.755 है नहरी कृषि भूमि में से राजाराम पुत्र राधेराम के नाम दर्ज 734/1751 हिस्सा यानि 3.670 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है । उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 03/01/2020 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व में 0.708 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दी गई है इसलिए 0.304 है. भूमि देकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का समान हिस्सा किया गया है । अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 75/72 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 8.755 है नहरी कृषि भूमि में से राजाराम पुत्र राधेराम के नाम दर्ज 734/1751 हिस्सा यानि 3.670 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 30.06.2020 को आपसी सहमति के आधार राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा गौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 75/72 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 8.755 है नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम पुत्र राधेराम के नाम दर्ज 734/1751 हिस्सा यानि 3.670 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से राजाराम पुत्र राधेराम 1.012 है., संजय कुमार पुत्र राजाराम 1.342 है. मनीष कुमार पुत्र राजाराम 1.012 है. विरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 0.304 है. कौम जाट निवासीयान 12 एफ बड़ा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को घरेलू बंटवारा अनुसार दी हुई है। उक्त वर्णित घरेलू बंटवारा अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सा में आए रकबा पर मालिक काबिज है। अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामानुसार चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 75/72 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 8.755 है नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम पुत्र राधेराम के नाम दर्ज 734/1751 हिस्सा यानि 3.670 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से राजाराम पुत्र राधेराम 1.012 है., संजय कुमार पुत्र राजाराम 1.342 है. मनीष कुमार पुत्र राजाराम 1.012 है. विरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 0.304 है. कौम जाट निवासीयान 12 एफ बडा, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की कृषि भूमि का उक्त वर्णित टेवल अनुसार विभाजन घोषित किया जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) का कुर्सीनामा पेश किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 12 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला, खाता संख्या 75/72 की प्रति पेश की। वादीगण द्वारा उक्त भूमि के विरास्तन साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी ग्राम 12 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला, खाता संख्या 531/72, जमाबंदी ग्राम 12 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला, खाता संख्या 588/72, जमाबंदी ग्राम 12 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला, खाता संख्या 321/63 की प्रति पेश की जिनके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी का विरास्तन होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजनीमा के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 75/72 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 8.755 है नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम पुत्र राधेराम के नाम दर्ज 734/1751 हिस्सा यानि 3.670 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से राजाराम पुत्र राधेराम 1.012 हैक्टर का , संजय कुमार पुत्र राजाराम 1.342 हैक्टर का, मनीष कुमार पुत्र राजाराम 1.012 हैक्टर का, एवम् विरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 0.304 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12.04.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner